आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **अधिग्रहण वाद सं0 1/2010** **सरकार बनाम विजेन्द्र कुमार सिंह** **आदेश**	
28/2/2013	इस वाद की कार्यवाही अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 06 दिनांक 5/1/2010 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव से आरंभ की गयी। दिनांक 31/12/2009 और 1/1/2010 को की गयी छापेमारी के कम में रिविलगंज के दलदली बाजार स्थित विजेन्द्र कुमार सिंह, जन वितरण प्रणाली विकेता के मकान के पीछे और अन्य कमरों में कालाबाजारी की कथित नीयत से रखे 87.50 क्विंटल गेहूँ तथा 130.50 क्विंटल चावल जप्त किया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-07 के तहत रिविलगंज थाना कांड संख्या 1/10 दर्ज करायी गयी थी। जप्त खाद्यान्न को नष्ट होने से बचाने के लिए उसकी बिक्री कर विकय की राशि जिला कोषागार में जमा करने का निदेश आदेश दिनांक 11/1/2010 के द्वारा दिया गया था। इस मामले में विपक्षी विजेन्द्र कुमार सिंह को नोटिस जारी की गयी थी और उन्होंने समय-सीमा पर अपना पक्ष रखते हुए किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य से इनकार किया है। दिनांक 14/2/2013 की सुनवाई में विपक्षी विजेन्द्र कुमार सिंह ने अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी, छपरा के द्वारा दिनांक 9/7/2012 को पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए बताया कि उन्हें आपराधिक वाद में दोषमुक्त कर दिया गया है। फिलहाल अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रखने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है और जप्त खाद्यान्न उन्हें वापस किया जाना चाहिए। राज्य का पक्ष रखते हुए विद्व विशेष लोक अभियोजक ने भी स्पष्ट किया कि आपराधिक वाद में दोषमुक्त किए जाने के पश्चात् अधिग्रहण वाद की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। उपरोक्त परिस्थिति में अधिग्रहण कार्यवाही को समाप्त करते हुए विपक्षी विजेन्द्र कुमार सिंह के मकान एवं परिसर से जप्त खाद्यान्न के विरुद्ध समतुल्य राशि के उचित पहचान पर भुगतान की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 28/2/13 जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। (हस्ताक्षर) 28/2/13 जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। ज्ञापांक 623 / विधि, दि. 11.3.13	

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा / थानाध्यक्ष, रिविलगंज को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश के आलोक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 07/3/13
वरीय उपसमाहर्ता
प्रभारी विधि शाखा
सारण, छपरा